न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

एस0ए0आर0 वाद सं0– 03/2019–20

प्रथम पक्षः– जुगल किशोर पातर गुण्डा पिता स्व0 बलराम पातर गुण्डा ग्राम–सारगेया (बादीटोली), थाना–अड़की, जिला–खूँटी।

–: बनाम :–

द्वितीय पक्षः– पुष्कर बाबु गुण्डा पिता स्व0 घासी बाबु गुण्डा ग्राम–हितडीह, थाना–अड़की, जिला–खूँटी।

आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
04.09.2023	**आदेश**	

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

यह वाद आवेदक द्वारा धारा 71 'A' के तहत भूमि वापसी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसका जमीन का विवरण निम्नलिखित है:–

ग्राम	थाना/थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
सारगेया	अड़की/293	26	526 539	0.13 0.31 0.44

आवेदन पत्र के आलोक में विधिवत् उभय पक्ष को नोटिस निर्गत की गयी। साथ ही इस न्यायालय के पत्रांक 52/न्या0 दिनांक 27.02.2020 के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, अड़की से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।

अभिलेख के अवलोकन करने के पश्चात् विधिवत् उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु समन भेजा गया। न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को उभय पक्ष अदालत में उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि विपक्षी पक्षकार स्वेच्छा से जमीन को जोत–कोड नहीं करेंगे। क्योंकि विपक्षी के पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। सिर्फ खेती–बारी करते है। अब से नहीं करेगें। मुझे प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि से कोई सरोकर नहीं है। मुझे पक्षकार से मुक्त किया जाय।

विपक्षी के द्वारा कही गई बातों को आवेदक स्वीकार करते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सहमती प्रदान करते है जो आदेश फलक में हस्ताक्षर कर स्वीकार करते है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित एवं संशोधित

04/09/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी।

04/09/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.12 12:22:04 +05:30
Location: 192.168.1.103